>

Title: Need to ban the book titled 'Nutrition' for containing some objectionable facts.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) के सहयोग से एक पुस्तक प्रकाशित की गई है "पोषण " अंग्रेजी में इसका नाम है "न्यूट्रिशन "। यह पुस्तक मेरे पास है, मैं साथ लाया हूँ। भोजन के संबंध में शिक्षित करने के लिए इस पुस्तक को मंत्रालय तथा उक्त संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर के जनता में बंटवाया जाता है तथा जनता को संतुलित भोजन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस पुस्तक में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के स्त्रोत एवं कार्य शीर्षक के अंतर्गत पृष्ठ छह पर अंकित सूची में क्रमांक दस पर बताया गया है कि शरीर के पोषण में ऑक्सीजन संचरण व खून बनाने के लिए लोहा आवश्यक है तथा इस महत्वपूर्ण पोशक तत्व का स्त्रोत बताते हुए यह जानकारी दी गई है कि इसका स्त्रोत गोमांस है।

महोदय, संविधान में "राज्य की नीति के निर्देशक तत्व " नामक अध्याय के अनुच्छेद 48 के अनुसार गोवंश का संरक्षण किया जाना शासन की जिम्मेदारी है। गाय परंपरा से इस देश के बहुसंख्यक विशेषकर हिंदू, सिख एवं जैन समाज की आस्था का केंद्र है। भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था का गोवंश आधार रहा है। गाय इस देश का मानबिंदु है। अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तक में ऐसी गाय का मांस खाने की सलाह देना अत्यंत आहत करने वाला, इस देश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने वाला तथा सामाजिक ताने-बाने को विच्छिन्न करने वाला है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस पुस्तक को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान के अधिकारियों को दंडित किया जाए तथा संबंधित सभी पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :

श्री राकेश सिंह,

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी,

श्री अर्जुन राम मेघवाल एवं

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण स्वयं को श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।